<u>*निःशुल्क प्रकाशनार्थ*</u>

# प्रेस–विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु पात्रता की शर्ते निम्नवत हैः–

1. इस योजना के अन्तर्गत आवेदक की आय गरीबी सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिये अर्थात शहरी क्षेत्र में रु0 56,460/– प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46,080/– प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
3. विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
4. पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा दिव्यांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी।
5. एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।

इस योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जन सुविधा केन्द्र (कामन सर्विस सेन्टर), साइबर कैफे अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं भरा जा सकता है।

अतः समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार अवगत होते हुये अल्पसंख्यक समुदाय शादी अनुदान योजनान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। **इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/ अथवा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क करते हुये प्राप्त कर सकते हैं।**

**(एजाजुल हक खान)**
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

## कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

पत्रांकः 142 /अ0सं0क0/शादी–अनु0/2021–22 दिनांक 14 जून, 2021

**<u>प्रतिलिपि</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. निदेशक महोदया, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर।
4. समस्त उपजिलाधिकारी गण, जनपद–सिद्धार्थनगर।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी गण, जनपद–सिद्धार्थनगर।
6. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे जनहित में समस्त समाचार–पत्रों (हिन्दी/उर्दू) में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय से कि कृपया संज्ञानित होने का कष्ट करें कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति विभागीय लागिन से ट्वीट कर दिया गया है।
8. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।